

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक एफ 4(21) ग्रावि/गुप-3/नरेगा/एमआईएस/2009-10

जयपुर, दिनांक:-

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

31 MAR 2010

विषय:- कार्य पर नियोजित श्रमिकों का बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते का फार्म न: 6 में
अंकन करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 01.04.2010 से कार्य पर नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों की मस्टररोल की एमआईएस में एन्ट्री करने हेतु श्रमिकों के बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते की एन्ट्री भारत सरकार द्वारा आवश्यक की जा रही है। अतः प्रत्येक श्रमिक का बैंक/पोस्ट ऑफिस खाता संख्या आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावें, ताकि मस्टररोल एन्ट्री में कठिनाई उत्पन्न नहीं हो।

भवदीय


15/3/2010
(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान।
2. अधिशाषी अभियन्ता, ई.जी.एस. समस्त राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।

4. Ms. Madhuri Sharma
Director NIC,
Krishi Bhavan
New Delhi


परियोजना निदेशक, ईजीएस